उपाबंध–X

(अध्याय 5. पैरा 5.13)

विधि और न्याय मंत्रालय

विधायी विभाग

नई दिल्ली, 1 अगस्त 2012

का.आ. 1732 (अ) –केन्द्रीय सरकार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की 43) की धारा 169 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2012 है,
   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे,

2. निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के प्रारूप 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को स्थान पर निम्नलिखित प्रारूप और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :–

''प्रारूप 26''

(नियम 4क देखिए)

........................**27–कोलारस (मध्यप्रदेश)**...निर्वाचन क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.........................**विधानसभा**..............................(सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिर्टनिंग ऑफीसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग–क

मैं.............**महेन्द्र**..........**पुत्र........**रामचरण**..........आयु...**35**....वर्ष जो ...**ग्राम पहाडी पोस्ट देहरोद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी म0प्र0**....

(डांक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं , शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं :–

(1) मैं ....**स्वतंत्र अभ्यर्थी**.......(*राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खडा किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड रहा हूं।

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम ....**27 कोलारस (मध्यप्रदेश)**.................(निर्वाचन क्षेत्र एवं राज्य का नाम) में भाग संख्या ....**6**.................के क्रम सं. .....**658 (छः सौ अट्ठावन)**.........पर प्रविष्टि है।

(3) मेरा सम्पर्क टेलीफोन नंबर ....**8224958999**.....है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

महेन्द्र सिंह रावत

.....नही.....है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम संख्या	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिये अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी मे उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1	स्वयं महेन्द्र	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
2	पत्नि **पंखोबाई**	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
3	आश्रित–1 **प्रियंका**	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
4	आश्रित–2 **रामानंद**	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता
5	आश्रित–3	लागू नही होता	लागू नही होता	लागू नही होता

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नही हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किऐ गऐ हे।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किये गये है।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नही होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये आरोपित किया गया है।	लागू नही होता
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नही होता
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपी) की विरचना की गई।	लागू नही होता
(ड)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गऐ थे	लागू नही होता
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है।	लागू नही होता

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) मे वर्णित मामलों से भिन्न) :–

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	लागू नही होता
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान	लागू नही होता

	लिया गया है।	
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिये फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोई हो) के ब्यौरे	लागू नही होता

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 की 43) की धारा 8 उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहरी ठहराया गया है और एक वर्ष से अधिक के लिये कारावास का दंडादेष दिया गया है/नही दिया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिये संज्ञान लिया गया है।	लागू नही होता
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश (आदेश) की तारीख।	लागू नही होता
(ग)	अधिरोपित दंड	लागू नही होता
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति।	लागू नही होता

(7) मैं, मेरे, मेरे पति या पत्नि और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं :–

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुये संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं. रकम जमा की तारीख, स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध मे बंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा मे लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) मे है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने है।

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं **महेन्द्र**	पत्नि **पंखोबाई**	आश्रित–1 **प्रियंका**	आश्रित–2 **रामानंद**	आश्रित –3
(i)	हाथ का नकदी	**5000रू**	**3000रू**			
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य	बैंक ऑफ अंडिया शाखा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य